भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, रायपुर, देहरादून।

संख्या 3660 /उपखनिज/भू0खनि0ई0/ख0प0/मा0प्लान/2022–23, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1156/VII-I/163–ख/2014, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री धीरज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री आनन्द सिंह चौहान, निवासी–जी, 290 नेहरू कॉलोनी, देहरादून के पक्ष में जनपद देहरादून की तहसील विकासनगर के ग्राम सहसपुर के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 721/1, रकवा 4.6140 है0 नाप भूमि में 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड से प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या 496–1(541)/2014, दिनांक 31.05.2014 के अधीन कतिपय शर्तों के साथ खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने, शासन के पत्र संख्या 664/VII-A-1/2021/163ख/14, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के द्वारा शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2015 के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे का पट्टाविलेख निष्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है, के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या 317/खनन/भू0खनि0ई0/मा0प्लान/2022–23, दिनांक 23 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र की खनन योजना अधिकतम गहराई 1.5 मी0 अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल, जो भी कम हो, अनुमोदित की गयी एवं खनन पट्टे का पट्टाविलेख दिनांक 26 मई, 2022 को उपनिबंधक कार्यालय, विकासनगर द्वितीय में निष्पादित किया गया है तथा वर्तमान में पट्टाधारक श्री धीरज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री आनन्द सिंह चौहान, निवासी–जी, 290 नेहरू कॉलोनी, देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 07.11.2022 के क्रम में उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला कार्यालय, जनपद देहरादून के पत्र संख्या 652/माई0प्ला0/भू0खनि0ई0–जि0 कार्या0दे0दून/2022–23, दिनांक 22 नवम्बर, 2022 के द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 334/VII-A-1/2020/5(15)/19 दिनांक 04 मार्च 2020 के प्राविधानानुसार प्रश्नगत क्षेत्र की 03 मीटर गहराई अथवा ग्राउण्ड वाटर लेवल, जो भी कम हो, की अनुमति हेतु Modified Mining Plan अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जोकि श्री कैलाश चन्द्र, आर0क्यू0पी0/यू0के0जी0 एम0यू0/012/2019, दिनांक 16.07.2019 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली– 2001 के नियम–34 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति–2016 के विन्दु संख्या–22(2) एवं शासन की अधिसूचना संख्या 334/VII-A-1/2020/5(15)/19 दिनांक 04 मार्च 2020 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए, प्रस्तुत संशोधित खनन योजना (Modified Mining Plan) का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:–

शर्तें

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन शासनादेश संख्या 1156/VII-I/163–ख/2014, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा के निष्पादित पट्टाविलेख की अवधि दिनांक 26.05.2022 से अग्रेत्तर 05 वर्ष की अवधि हेतु इस शर्त के साथ किया जाता है कि पट्टाधारक द्वारा 3.0 मी0 अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल, जो भी कम हो, के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति, सी0टी0ओ0, खनन पट्टा शासनादेश एवं अनुपूरक पट्टाविलेख में उक्तानुसार संशोधन कराया जाना होगा। उक्त संशोधित मात्रा पर्यावरणीय अनुमति, सी0टी0ओ0, खनन पट्टा शासनादेश एवं अनुपूरक पट्टाविलेख में संशोधन/अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त लागू होगी।
2. पट्टाधारक द्वारा शासनादेश संख्या 1156/VII-I/163–ख/2014, दिनांक 31 जुलाई, 2015 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन पट्टा शासनादेश में संशोधन कराया जाना होगा।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य मैनुअल माइनिंग विधि से बिना ब्लास्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में 3,04,524 टन, द्वितीय वर्ष में 3,04,524 टन तथा तृतीय वर्ष में में 3,04,524 टन, चतुर्थ वर्ष में 3,04,524 टन एवं पंचम वर्ष में 3,04,524 टन उपखनिज का खनन/चुगान किया जायेगा।
4. पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र हेतु प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति संख्या 496–1(541)/2014, दिनांक 31.05.2014 को संशोधित खनन योजना (Modified Mining Plan) के संदर्भ में निकासी की मात्रा 3,04,524 टन प्रतिवर्ष एवं गहराई 3.0 मीटर अथवा ग्राउण्ड वाटर लेवल, जो भी कम हो, के अनुसार संशोधन कराया जाना होगा।

5. पट्टाधारक द्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 334/VII-A-1/2020/5(15)/19 दिनांक 04 मार्च 2020 में किये गये प्रावधान के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) का चुगान सतह से 3.0 मी0 की गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो, तक किया जायेगा।
6. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) में किये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।
7. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नही किया जायेगा।
8. पट्टाधारक द्वारा समय–समय पर मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण, मा0 उच्च न्यायालय तथा शासन द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि इस खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोड़ कर अनुमोदित की जाती है।
10. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होंगे।
11. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी क्षेत्रान्तर्गत माननीय न्यायालय के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
12. अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
13. आबद्ध/नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतने का दायित्व आवेदक का होगा।
14. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला खान अधिकारी कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी आवेदक का होगा।
15. अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, आवेदक द्वारा खनन कार्य न किये जाने पर, आवेदक के विरूद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।
16. खनन योजना इस शर्त के साथ अनुमोदित की जा रही है कि पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेगा।

संलग्नकः– खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्या 3660/उपखनिज/भू0खनि0ई0/ख0प0/मा0प्लान/2022–23, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद देहरादून।
5. श्री धीरज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री आनन्द सिंह चौहान, निवासी–जी, 290 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
6. श्री कैलाश चन्द्र (आर0क्यू0पी0)/यू0के0जी0एम0यू0/012/2019।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक